

भाग-3

(सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

जनपद आगरा में फतेहाबाद रोड पर अबन्तीबाई चौराहा से बाह कचौराघाट मार्ग के कि०मी० 11 का छः लेन चौड़ीकरण के निर्माण कार्य में 1.40 हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति एवं उस पर अवस्थित 126 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में प्रस्ताव।

Proposal No. – 26962/2017

14.	स्थल जहाँ की वन भूमि शामिल की गई है, क्या इसका सम्बन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हाँ/नहीं)। यदि हाँ तो निरीक्षण की तारीख और किये गये प्रक्षेपों को निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।	नहीं
15.	क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग-ख में दी गई सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत हैं।	सहमत
16.	प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत प्रकरणों के साथ विशेष सिफारिशें –	प्रस्ताव जनहित में होने के कारण संस्तुति की जाती है।

दिनांक : 18-09-2018

स्थान : आगरा।



(जावेद अख्तर)

वन संरक्षक,

आगरा वृत्त, आगरा।

